राम धारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

303

(कृष्ण मुरारी, जे.)

कृष्ण मुरारी, सीजे और अरुण पल्ली, जे. जे. समक्ष

राम धारी-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादीगण

2018 का एल. पी. ए. No.1890

22 जनवरी, 2019

लेटर्स पेटेंट, खंड X-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब पुलिस नियम (हरियाणा पर लागू)-आर. एल. 9.18- अपीलार्थी ने एकल न्यायाधीश के समक्ष अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ-साथ प्रतिकूल ए. सी.

आर. के आदेश को चुनौती दी-अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर इस आधार पर हमला किया गया कि राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी-एल. पी. ए. पीठ एकल न्यायाधीश से सहमत थी कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। रिलायंस ने नियम 9.18 (1) (सी) के साथ-साथ इसके साथ संलग्न नोट को भी रखा-आगे यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति अवैध नहीं है, क्योंकि इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी की ईमानदारी को संदिग्ध के रूप में दर्ज किया गया था-प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए चुनौती को देरी और विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया था-साथ ही यह याचिका कि अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जबकि उसका प्रतिनिधित्व डीजीपी के समक्ष लंबित था, खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रतिनिधित्व एक वैधानिक प्रतिनिधित्व नहीं था- अपील खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि ऊपर उद्धृत नियम 9.18 का केवल अवलोकन यह दर्शाता है कि यह तीन आकस्मिकताओं में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन के भुगतान का प्रावधान करता है:-

i) एक कर्मचारी जिसे 25 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए योग्यता सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है, जो किसी भी वर्ग के अधिकारी के लिए निर्धारित की जा सकती है; या

(ii) जो 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद उप-नियम (2) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया हो; या

iii) जो नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद उसे कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जाता है।

इसी तरह एक पुलिस अधिकारी भी सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे के तीन महीने की सूचना देकर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति ले

सकता है। नियम 1 के साथ संलग्न नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकरण को किसी भी पुलिस अधिकारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या उसके बाद बिना कोई कारण बताए सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

संबंधित अधिकार पुलिस अधिकारी के लिए 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्ति लेने के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार नियमों के नियम 9.18 में ही 55 वर्ष की आयु में एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति और 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बीच अंतर किया गया है, जिसमें से पहला उप नियम । (सी) में और दूसरा उप नियम 2 में अभिनिर्धारित किया गया है।

(पैरा 9) आगे कहा कि यह केवल उपनियम (2) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है । 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद किसी भी समय एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आकस्मिकता में परिकल्पित अलग प्रक्रिया और 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने पर एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति कोई अस्पष्टता स्वीकार नहीं करती है।

(पैरा 10) यह भी अभिनिर्धारित किया कि उप-नियम 1 में संलग्न किसी भी अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि किसी पुलिस अधिकारी के 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद उसे सेवानिवृत्त करने के लिए, जो कोई भी नियुक्ति प्राधिकरण हो, उसे बिना कोई कारण बताए उसे सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है । इस आकस्मिकता में सरकार की ओर से कोई पूर्व मंजूरी निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, यदि पुलिस अधिकारी को 25 साल की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त होना है, तो उप नियम (2)

लागू होता है जो पुलिस महानिरीक्षक को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है।

(पैरा 11) आगे कहा कि यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी और पंजाब पुलिस नियम, खंड-1 के नियम 9.18 (1) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे सेवानिवृत्ति के लिए दिनांक 16.07.2015 का विवादित तीन महीने का नोटिस जारी किया गया था।

(पैरा 12) में आगे कहा कि नियम 9.18 के तथ्यों और विश्लेषण में अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि सरकार से किसी भी पूर्व मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी और नोटिस वैध रूप से जारी किया गया था और अपीलार्थी- याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने वाले विवादित आदेश 02.12.2015 को राज्य सरकार से किसी भी पूर्व मंजूरी के

अभाव में किसी भी अवैधता के साथ नहीं देखा जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया पहला तर्क किसी भी विचार के योग्य नहीं है।

(पैरा 13)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक ए. सी. आर. में केवल एक प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, वह भी कानून की दृष्टि से खराब और अवैध है 101.04.2006 से 31.03.2007 तक की अवधि के लिए अपीलार्थी याचिकाकर्ता के ए. सी. आर. में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों का अवलोकन

विशेष रूप से दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान उसकी ईमानदारी संदिग्ध है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की ईमानदारी पर एक बार भी संदेह है, तो ऐसा कर्मचारी एक मृत लड़की है जिसे व्यापक सार्वजनिक हित में काटने की आवश्यकता है।

(पैरा 14) आगे यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिया गया तीसरा तर्क कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश ए. सी. आर. में प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ किए गए अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान पारित नहीं किया जा सकता था जिसका कोई औचित्य नहीं हैं यह निर्विवाद है कि प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को प्रतिवादी No.3- Inspector पुलिस जनरल द्वारा दिनांकित 28.09.2007 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था । प्रतिकूल ए. सी. आर. के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के संबंध

में राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 22.03.1971 जारी किए गए निर्देश अभ्यावेदन करने का केवल एक अवसर प्रदान करते हैं और इसके निर्णय को न केवल अंतिम माना गया है, बल्कि प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दूसरे अभ्यावेदन को विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(पैरा 17) आगे अभिनिर्धारित किया। कि भले ही पहले अभ्यावेदन पर निर्णय अंतिम था, फिर भी अपीलार्थी- याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 21.06.2008 को दिए गए एक अन्य अभ्यावेदन पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा विचार किया गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया, जो प्रत्यर्थी स- 3 पुलिस महानिदेशक से श्रेष्ठ प्राधिकारी है। अपीलार्थी- याचिकाकर्ता द्वारा किया गया तीसरा अभ्यावेदन सांविधिक रूप से प्रदान नहीं किया गया है और एक अवांछित और गैर-सांविधिक अभ्यावेदन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्णय को स्थगित करने का आधार नहीं

बनाया जा सकता है और न ही ऐसे किसी अभ्यावेदन की लंबितता नियोक्ता द्वारा इस संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय को दूषित करेगी।

(पैरा 18) ने आगे यह माना गया कि प्रतिकूल प्रवेश के लिए दी गई चुनौती और प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने के आदेश भी इस सरल कारण से विफल होने चाहिए कि यह लगभग 10 साल से अधिक की अत्यधिक देरी के बाद किया गया है और इस प्रकार यह देरी और रुकावटों से बाधित है।

(पैरा 19)

आर. एन. लोहान, अधिवक्ता,

अपीलार्थी के लिए।

कृष्णा मुरारी, चीफ जस्टिस (मौखिक)

(1) लेटर पेटेंट के खंड X के तहत यह अंतर-अदालत अपील विद्वान एकल

न्यायाधीश के दिनांक 27.08.2018 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4-पुलिस अधीक्षक, जिला जींद द्वारा पारित दिनांक 02.10.2015 के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। रिट याचिका में और राहत की मांग की गई थी कि डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2006 से 31.03.2017 की अवधि के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि को रद्द कर दिया जाए और साथ ही प्रतिवादी No.2- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, पंचकुला, हरियाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2009 को भी रद्द कर दिया जाए, जिसमें

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश पंजाब पुलिस नियम, खंड-1 (हरियाणा राज्य में अपनाया और लागू किया गया) के नियम 9.18 (2) का उल्लंघन है।

(3) ऊपर ध्यान देने योग्य मुद्दा निम्नलिखित तथ्यों की पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता है:-

अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को हरियाणा पुलिस में 07.12.1986 पर सिपाही के रूप में भर्ती किया गया था और उसे उप निरीक्षक के पद तक पदोन्नत किया गया था। उन्हें 27.08.2007 के पत्र 01.04.2006 से 31.03.2007 की अवधि के लिए उनके ACR में दर्ज 'ईमानदारी संदिग्ध होने' की प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में सूचित किया गया था। अपीलार्थी-

याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी No.3 पुलिस महानिरक्षक जनरल, हिसार रेंज, हिसार के समक्ष दिनांक 28.09.2007 का अभ्यावेदन किया गया था, जिसे दिनांक 28.05.2008 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, पंचकुला, हरियाणा के समक्ष एक और अभ्यावेदन दिया गया था, जिसे दिनांक 28.01.2009 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी No.1- वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष दिनांक अनिर्णित 17.03.2009 का एक और अभ्यावेदन दिया, जो उनके अनुसार अभी भी अनिरनित है। इसके बाद उन्हें सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए 16.07.2015 दिनांकित तीन महीने का नोटिस दिया गया और अंत में 02.10.2015 दिनांकित विवादित आदेश के अनुसार उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

(4) विद्वत एकल न्यायाधीश ने इस अंतर-न्यायालय अपील में आक्षेपित आदेश के माध्यम से रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि अपीलकर्ता- याचिकाकर्ता 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए राज्य सरकार से मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी

पंजाब पुलिस नियमों और उसके बाद के अभ्यावेदन दिनांक 17.03.2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया क्योंकि वैधानिक रूप से प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी।

(5) अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कानूनी रूप से गलती की है कि अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने से पहले राज्य सरकार की किसी पूर्व

मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी और यह निष्कर्ष पंजाब पुलिस नियमों के नियम 9.18 की गलत व्याख्या पर आधारित है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केवल ए. सी. आर. में प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को पूर्व- परिपक्वता से सेवानिवृत्त करने की प्रतिवादीगण की कार्रवाई मनमाना, भेदभावपूर्ण, अवैध, असंवैधानिक और पंजाब पुलिस नियमों का उल्लंघन है । इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. सी. आर. में प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या । के समक्ष अपीलार्थी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति का आदेश अभ्यावेदन के अंतिम निपटान तक पारित नहीं किया जा सकता था । (6) हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

(7) हमारे समक्ष उठाए गए मुद्दे के प्रभावी निर्णय के लिए, पंजाब पुलिस नियमों के नियम 9,18 के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक हो सकता है, जो निम्नानुसार है:-

"नियम 9.18 इस प्रकार है:-

(9.18. सेवानिवृत्ति पेंशन । (1) इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक अधिकारी को सेवानिवृत्ति पेंशन दी जाती है।

(क) जिसे पँचिश वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है या ऐसी कम अवधि जो किसी भी वर्ग के अधिकारियों के लिए निर्धारित की जा सकती है; या

(ख) जो पँचिश वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद उपनियम (2) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया हो; या

(ग) जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद उसे कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जाता है; या

(घ) जो नियुक्ति प्राधिकारी को सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की कम से कम तीन महीने की सूचना देकर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है। बशर्ते कि जहां नोटिस 55 वर्ष की आयु से पहले दिया गया हो

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

यह उस तारीख से प्रभावी होगा जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से पहले नहीं होगी।

ध्यान दें:- नियुक्ति प्राधिकारी के पास किसी भी सरकारी कर्मचारी के 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद बिना कोई कारण बताए

सेवानिवृत्त होने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने का एक संबंधित अधिकार भी उपलब्ध है।

(2) पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सरकार की बहुमूल्य मंजूरी के साथ, भारतीय पुलिस सेवा या हरियाणा राज्य पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारी के अलावा किसी भी पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकता है, जिसने बिना कोई कारण बताए पच्चीस साल की योग्यता सेवा पूरी कर ली है। एक अधिकारी जो इतना अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त है, वह अपनी सेवानिवृत्ति के लिए किसी विशेष मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

ध्यान दें:- अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के अधिकार का प्रयोग तब नहीं किय जाएगा जब किसी अधिकारी की आगे की सेवाओं को अक्षमता, बेईमानी, भ्रष्टाचार या कुख्यात आचरण जैसे आधारों पर उसके आगे की

सेवाओ को समापत करना सार्वजनिक हित में दिया जाए। इस प्रकार यह नियम उपयोग के लिए है

(i) ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जिसकी कार्यकुशलता बाधित है, लेकिन जिसके विरुद्ध अक्षमता के औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं है या जो पूरी तरह से कुशल होना बंद कर चुका है, अर्थात, जब अधिकारी का मूल्य स्पष्ट रूप से उस वेतन के अनुरूप नहीं है जो वह प्राप्त करता है, लेकिन उस डिग्री के अनुरूप नहीं है जो अनुकंपा भत्ते पर उसकी सेवानिवृत्ति की गारंटी देता है। इस नियम के प्रावधानों का उपयोग एक वित्तीय हथियार के रूप में करने का इरादा नहीं है जिसका अर्थ है कि प्रावधानों का उपयोग केवल एक ऐसे अधिकारी के मामले में किया जाना चाहिए जिसे वित्तीय आधारों के विपरीत व्यक्तिगत रूप से प्रतिधारण के लिए अयोग्य माना जाता है।

(ii) ऐसे मामले में जहां भ्रष्टाचार, बेईमानी या कुख्यात आचरण के लिए प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से स्थापित है, भले ही कोई विशिष्ट उदाहरण साबित होने की संभावना न हो।

नोट 2:- अधिकारी को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कोई भी अभ्यावेदन करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा जो वह करना चाहता है, और उसके अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने से पहले इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा । पंजीकृत नामांकित पुलिस अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में, पुलिस महानिरीक्षक

इस विषय पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ ही ऐसी सेवानिवृत्ति प्रभावी होगी । नोट 3:- जिस अधिकारी का कर्तव्य रिक्त होने

पर पद को भरना होगा, वह सेवानिवृत्त होने के आवेदन पर अपने आदेश दर्ज करेगा, जो, यदि स्थानीय भाषा में है, तो अंग्रेजी में अनुवाद के साथ होना चाहिए । यदि पेंशन के लिए आवेदन करने वाले अधिकारी को सेवानिवृत्त होने की अनुमति है, तो आवेदन को पेंशन के कागजात के साथ भेजा जाएगा।"

8) ऊपर उद्धृत नियम 9.18 के एक मात्र अवलोकन से पता चलता है कि यह तीन आकस्मिकताओं में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन के भुगतान का प्रावधान करता है:-

i) एक कर्मचारी जिसे 25 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए योग्यता सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है, जो किसी भी वर्ग के अधिकारी के लिए निर्धारित की जा सकती है; या

(ii) जो उपनियम (2) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त है।

25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करना; या

iii) जो नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद उसे कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जाता है।

(9) इसी तरह एक पुलिस अधिकारी भी सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे के तीन महीने की सूचना देकर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति ले सकता है। नियम । के साथ संलग्न नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकरण को किसी भी पुलिस अधिकारी को बिना कोई कारण बताए 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। संबंधित अधिकार पुलिस अधिकारी के लिए 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्ति लेने के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार नियमों के नियम 9,18 में ही 55 वर्ष की आयु में एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति और 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बीच अंतर किया गया है, जिसमें से पहला

उप नियम । (सी) में और दूसरा उप नियम 2 में अभिनिर्धारित किया गया है।

(10) यह केवल उपनियम (2) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद किसी भी समय एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आकस्मिकता में परिकल्पित अलग प्रक्रिया और 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी करने पर एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति कोई अस्पष्टता स्वीकार नहीं करती है।

(11) उप नियम 1 में संलग् नोट यह प्रचुरता से स्पष्ट करता है कि

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

किसी पुलिस अधिकारी के 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने के लिए, जो कोई भी नियुक्ति प्राधिकरण हो, उसे बिना कोई

कारण बताए उसे सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। इस आकस्मिकता में सरकार की ओर से कोई पूर्व मंजूरी निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, यदि पुलिस अधिकारी को 25 साल की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त होना है, तो उप नियम (2) लागू होता है जो पुलिस महानिरीक्षक को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है।

(12) हाथ में मामले में यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता- याचिकाकर्ता ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी और पंजाब पुलिस नियम, खंड-1 के नियम 9.18 (1) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे सेवानिवृत्ति के लिए विवादित तीन महीने का नोटिस दिनांक 16.02.2015 जारी किया गया था।

(13) नियम 9.18 के तथ्यों और विश्लेषण में अटूट निष्कर्ष यह है कि सरकार से किसी भी पूर्व मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी और नोटिस

वैध रूप से जारी किया गया था और अप्रीलार्थी याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने वाले विवादित आदेश 02.10.2015 को राज्य सरकार से किसी भी पूर्व मंजूरी के अभाव में किसी भी अवैधता के साथ नहीं देखा जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया पहला तर्क किसी भी विचार के योग्य नहीं है।

(14) जहाँ तक ए. सी. आर. में केवल एक प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर सेवानिवृत्ति के संबंध में आगे की गई प्रस्तुति भी कानून की दृष्टि से खराब और अवैध है, वह भी बिना किसी सार के है 101.04.2006 से 31.03.2007 तक की अवधि लिए अपीलार्थी याचिकाकर्ता के ए. सी. आर. में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों का अवलोकन विशेष रूप से दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान उसकी ईमानदारी संदिग्ध है । यह अच्छी तरह से तय किया: गया है कि यूदि किसी कर्मचारी के एकीकरण ईमानदारी पर एक बार भी संदेह है, तो ऐसा कर्मचारी को एक मृत लड़की के ज्ञापन है और उस

सार्वजनिक हित में काटने की आवश्यकता है। । यह प्रस्ताव माननीय सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है केस

वैकुंथा नाथ दास और एक अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय

इस विषय पर पहले के मामले कानूनों की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट के पैराग्राफ 34 में निम्नलिखित पांच प्रस्ताव बनाए गए।

"34. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई दंड नहीं है। इसका मतलब कोई कलंक नहीं है और न ही दुर्व्यवहार का कोई सुझाव है।

1 1992 (2) एस. सी. सी. 299 राम धारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(कृष्ण मुरारी, जे.)

(ii) सरकार द्वारा यह राय बनाने पर आदेश पारित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है। यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। यद्यपि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (क) दुर्भावनापूर्ण या (ख) यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है या (ग) यह मनमाना है-इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है । (iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) को

मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा- निश्चित रूप से बाद के वर्षों के दौरान रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना होगा । इस तरह से विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय रिकॉर्ड चरित्र सूची में प्रविष्टियां शामिल होंगी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों । यदि प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद किसी सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो इस तरह की टिप्पणियों का प्रभाव कम हो जाता है, विशेष रूप से यदि पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित है न कि वरिष्ठता पर।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल यह दिखाने पर कि इसे पारित करते समय असंसदीय प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था, न्यायालय द्वारा रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है । वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती।"

(15) भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी बनाम एस. एम. के. खान 2 में एक कर्मचारी की 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बिना कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस देकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मुद्दा फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार का विषय रहा है। उक्त मामले में इंडियन एयरलाइंस कर्मचारी सेवा विनियम के विनियम 12 पर विचार किया जा रहा था जो पंजाब पुलिस नियम के नियम 9.18 (सी) का लगभग पैरा-मैटेरिया है। यह इंडियन एयरलाइंस कर्मचारी सेवा विनियमों के विनियम 12 को निकालने के लिए प्रासंगिक हो सकता है जो निम्नानुसार है:-

2 (2009) 5 एससीसी 732 312

"एक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निगम की सेवा से सेवानिवृत्त होगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी को विना कोई

कारण बताए तीन महीने का नोटिस देने पर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है।

(16) उपरोक्त नियम का विश्लेषण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"13. एक नियम/विनियम के अनुसरण में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जो सक्षम प्राधिकारी को एक कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने में सक्षम बनाता है. एक प्रामाणिक राय के गठन पर कि सेवा में कर्मचारी के बने रहने से संस्थान को लाभ नहीं होगा या संस्थान के हित में नहीं होगा (या सार्वजनिक हित में नहीं होगा जहां कर्मचारी एक सरकारी कर्मचारी है), कर्मचारी के प्रदर्शन/सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा पर, निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने या सेवा की निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने वाले कर्मचारी पर, वैध है और चुनौती के लिए खुला नहीं है। यह न तो कोई सजा है और न ही इसे कलंक माना जाता है। जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कदाचार के लिए सजा के रूप में नहीं

है, बल्कि सेवा की एक वैध शर्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई है जो नियोक्ता को सेवानिवृत्ति से पहले करने में सक्षम बनाती है, तो कार्रवाई से पहले किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

14. कर्मचारी की असंतोषजनक सेवा जिसमें कोई भी लगातार कदाचार या अक्षमता शामिल हो सकती है, यह निर्णय लेने के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है कि कर्मचारी एक मृत लकड़ी बन गया है और उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए इस तरह की "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" कदाचार के एक विशिष्ट आरोप पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (या बर्खास्तगी/निष्कासन) की सजा के अधिरोपण से अलग और अलग है, जहां कदाचार सजा का आधार है। अंतर दो कारकों के कारण है: सबसे पहले, कर्मचारी एक विशेष आयु या सेवा के वर्षों की संख्या को पूरा करने के कारण उस क्षेत्र के भीतर आता है जहां उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन

करने की आवश्यकता होती है कि क्या वह नियोक्ता के लिए निरंतर उपयोगिता का है या नियोक्ता के लिए एक मृत लकड़ी या दायित्व बन गया है। दूसरा, सेवा का रिकॉर्ड, जिसमें खराब प्रदर्शन, असंतोषजनक सेवा या संयोग से कोई हालिया आचरण शामिल हो सकता है

313

(कृष्ण मुरारी, जे.)

(जिसे यदि अलग से माना जाता है तो दंड के अधीन एक कदाचार का गठन हो सकता है) जब समग्र रूप से माना जाता है, तो समीक्षा प्राधिकरण को इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि विचाराधीन कर्मचारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है और नियोक्ता के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए, असंतोषजनक सेवा के किसी भी आकस्मिक संदर्भ, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पत्र में प्रासंगिक नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण को समझाने के संदर्भ में किसी भी टिप्पणी को कलंकित नहीं माना

जाएगा, भले ही संदर्भ से बाहर पढ़ा जाए, वे कदाचार के आरोपों के रूप में माने जाने में सक्षम हो सकते हैं।

15. इस तरह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान करने वाले नियम विनियमन के संदर्भ में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई भी आदेश तब तक हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं है जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण या मनमाना या असंतोषजनक सेवा से संबंधित किसी भी पृष्ठभूमि सामग्री पर आधारित नहीं दिखाया जाता है, जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति को उचित ठहराता है।

14. जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश इस तरह की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान करने वाले नियम/विनियमन के तहत एक होने का तात्पर्य है, तो अदालत का उचित दृष्टिकोण यह विचार करना होगा कि क्या आदेश प्रासंगिक नियम की आवश्यकताओं के संदर्भ में टिकाऊ है, बजाय इस बात की जांच करने के कि क्या आदेश को कदाचार के लिए सजा के रूप में भी माना जा सकता है-वैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला

चिकित्सा अधिकारी [(1992) 2 एस. सी. सी. 299:1993 एससीसी (एल एंड एस) 521: (1992) 21 एटीसी 649], इलाहाबाद बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम इलाहाबाद बैंक [(1996) 4 एससीसी 504:1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1037], आई. के. मिश्रा बनाम भारत संघ [(1997) 6 एस. सी. सी. 228:1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1654], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लालसा राम [(2001) 3 एस. सी. सी. 389:2001 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 593] और एम. एल. बिनजोलकर बनाम स्टेट ऑफ एम. पी. [(2005) 6 एस. सी. सी. 224:2005 एससीसी (एल एंड एस) 827] "

(17) अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिया गया तीसरा तर्क कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश ए. सी. आर. में प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ किए गए अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान पारित नहीं किया जा सकता था,

में भी कोई आधार नहीं है । यह निर्विवाद है कि प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अपीलकर्ता- याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को प्रतिवादी No.3-Inspector पुलिस जनरल द्वारा दिनांकित 28.09.2007 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था 1314 के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 22.03.1971 जारी किए गए निर्देश

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

प्रतिकूल ए. सी. आर. प्रतिनिधित्व करने का केवल एक अवसर प्रदान करता है और उसके निर्णय को न केवल अंतिम माना गया है, बल्कि प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दूसरे प्रतिनिधित्व को विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रासंगिक निर्देशों को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त हो सकता है:-

(ii) प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक अभ्यावेदन पर अंतिम आदेश पारित करने से पहले, रिपोर्टिंग प्राधिकरण/अधिकारियों की टिप्पणियां हमेशा प्राप्त की जानी चाहिए। अंतिम रूप से, इस तरह के अभ्यावेदन पर आदेश, अभ्यावेदन परस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर, जहां तक संभव हो, संबंधित सरकारी कर्मचारी को भेज दिया जाएगा। इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होंगे और प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दूसरे अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(18) भले ही पहले अभ्यावेदन पर निर्णय अंतिम था, फिर भी अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 21.06.2008 एक अन्य अभ्यावेदन पर पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया, जो प्रतिवादी संख्या 3-पुलिस महानिरीक्षक से बेहतर अधिकारी था। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा किया गया तीसरा अभ्यावेदन सांविधिक रूप से प्रदान नहीं किया गया है और एक अवांछित और गैर-सांविधिक

अभ्यावेदन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्णय को स्थगित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है और न ही ऐसे किसी अभ्यावेदन की लंबितता नियोक्ता द्वारा इस संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय को दूषित करेगी।

(19) प्रतिकूल प्रवेश के लिए की गई चुनौती और प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने के आदेश भी इस सरल कारण से विफल होने चाहिए कि यह लगभग 10 साल से अधिक की अत्यधिक देरी के बाद किया गया है और इस प्रकार यह देरी और रुकावटों से बाधित है।

(20) अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश जब परीक्षण की कसौटी पर परीक्षण किया जाता है और यहां ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांत, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और स्वयं नियम से उत्कीर्ण किए गए

हैं, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि यह वैध है और चुनौती देने के लिए खुला नहीं है।

(21) इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय में कोई दुर्बलता या अवैधता मौजूद नहीं है जिसके लिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

(22) तदनुसार अपील विफल हो जाती है और खारिज हो जाती है।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

विक्रांत